N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0266 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/10/2025 15:55 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 06/10/2025 Date To (दिनांक तक): 09/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 09:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/10/2025 Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/10/2025 15:55:55 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 46 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): BAS STAND SURAJGARH, JILA JHUNJHUNU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAILASH CHAND SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHRIRAM SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1970 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | WARD NO.02,SURAJ GARH, SURAJ GARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | WARD NO.02,SURAJ GARH, SURAJ GARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEPAK TAILOR | | पिता:GAJRAJ SINGH | 1. BUDHPURA MOHALLA,BAKANI,JHALAWAR, RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 10,000.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 10,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 06.10.2025 को परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री श्रीराम शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 02, सूरजगढ जिला झुंझुनूं ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का आधार कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन का विवरण एवं वर्तमान स्थिति से सबंधित कागजात की फोटोप्रति मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि मेरी बुहाणा रोड़ पर चाय की छोटी सी दुकान है। मैने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले साल आवेदन किया था 19.06.2025 को मेरा नाम योजना में आ गया इस योजना में 2,50,000 लाख रुपये मेरे मकान के लिए मिलते है। आवेदन पास होने के बाद मैने मेरा मकान बनाना चालु किया और अब पुरा मकान बना लिया आवेदन को इस योजना में चार किस्तो में पैसा मिलता है जिसमें से दो किस्तो के एक लाख रुपये मेरे को खाते में आ गया जिसमें से शेष रुपये के लिए मैने नगर पालिका में सम्पर्क किया तो उक्त मेरी फाईल दिपक कुमार के पास है और मै दिपक कुमार जी से मिला तो मेरी शेष राशि पास करवाने के लिए 40,000 रुपये कि रिश्वत मांग रहा है। जिसमें 20,000 रुपये मेरे पहले पास करवाये उसके और शेष राशि पास करवाने की एवज में 20,000 रुपये ओर देने की कह रहा है। कुल 40,000 रुपये कि मांग कर रहा है। मैने उनको कहा कि इतने पैसे बहुत ज्यादा हो जायेगा मै बहुत गरीब आदमी हॅू इतना पैसे देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा तो दिपक जी ने कहा यह तो पास करवाना है तो देना ही पड़ेगा इस सिस्टम में देना ही पड़ेगा नही तो JEN हस्ताक्षर नही करेगा और राशि पास नही होगी नही तो डिफाल्ड घोषित करके और आपकी फाईल केन्सल कर दुंगा मै दिपक कुमार जी को बुधवार दिनांक 30.09.2025 को नगर पालिका सूरजगढ में मिला और अपनी किस्त के पास के लिए निवेदन तो दिपक कुमार अपनी पूर्व बात पर 40,000 रुपये की रिश्वत लेकर ही पास करने को कहा है। मै गरीब आदमी हॅू मेरे जायज काम के लिए दिपक कुमार जी को रिश्वत नही देना चाहता हॅू और उनको रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हॅू। मेरे दिपक कुमार जी से कोई लेन देन बकाया नही है। और मेरे दिपक कुमार जी से कोई रंजीश नही है रिपोर्ट पेश करता हॅू कृपया करके उचित कार्यवाही करें। भवदीय एसडी कैलाश चन्द शर्मा वार्ड नम्बर 02 पुत्र श्री श्रीराम शर्मा वार्ड नम्बर 02, सूरजगढ जिला झुंझुनूं Cont No[redacted] दिनांक 06.10.2025। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै श्री दिपक कुमार से आज शाम को मिलकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हॅू। कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर चैक किया तो उनमें पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि नम्बर 155 का परिचय परिवादी से करवाया तथा परिवादी को कार्यालय की डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु आवश्यक हिदायत कर सूरजगढ रवाना किया गया। समय 06.30 पीएम पर श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि नम्बर 155 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया सूरजगढ बस स्टेण्ड पहुंचा जहा परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा उपस्थित मिला। परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा की उसके मोबाईल से आरोपी श्री दीपक कुमार बाबू के मोबाईल पर उसकी सकुनत के बारे में मालुमात करने हेतु वार्ता की तो आरोपी श्री दीपक कुमार ने फायर ब्रिगेड आफिस में मिलने हेतु बुलाया। परिवादी व श्री दीपक कुमार के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा मै व परिवादी उसकी मोटर साईकिल से रवाना होकर फायर ब्रिगेड आफिस से पहले पहुंच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर श्री दीपक कुमार के पास गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु फायर ब्रिगेड आफिस रवाना किया। करीबन 25 मिनट बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री दीपक कुमार बाबू ने मेरे प्रधानमंत्री आवासीय योजना में स्वीकृत हुये एक लाख रुपये की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की है तथा शेष एक लाख पचास हजार रुपये स्वीकृत करवाने की एवज में बाद में बताने के लिए कहा है तथा रिश्वती राशि इस बृहस्पतीवार को देने के लिए कहा है। परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा से भी वार्ता की तो परिवादी ने श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि द्वारा बताई गई बातो की ताईद की। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित दिनांक 09.10.2025 एसीबी कार्यालय आने की हिदायत की गई। श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि 155 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया

,तो श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि 155 एवं परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा द्वारा मोबाईल पर बताई बातों की ताईद होना पाई गई। दिनांक 09.10.2025 को परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा गोपनीय कार्यवाही हेतु हाजिर कार्यालय आया एवम् पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह, निजी सहायक द्वितीय व श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग झुंझुनूं से हाजिर आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवा तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाह को गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती प्राप्त की तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 06.10.2025 को परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा व आरोपी श्री दीपक कुमार बाबू, नगर पालिका सूरजगढ की जरिये मोबाईल एवं रुबरु हुई वार्ता जो परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया को कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह व विक्रम सिंह की उपस्थिति में सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि. 155 से तैयार करवायी। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से तीन पेनड्राईव तैयार कर मैमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव की हैश वैल्यु शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा को रिश्वत में दिये जाने वाले 10,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह से परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10,000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि. 10 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। कार्यालय का नया डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 08.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री कुमार सानू कानि 138, श्री नरेन्द कुमार कानि 81, राकेश कुमार कानि. 243, ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री प्रवीण कानि 36, श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह, एवं श्री विक्रम सिंह, परिवादी श्री कैलाश चन्द के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन, डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व अनुसंधान सामग्री के गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो न्यायालय परिसर सूरजगढ के पास पहॅुच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी व समस्त टीम को समझाईश की गई। परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपूर्द किया तथा रिश्वत देने हेतु श्री दीपक टेलर के पास फायर ब्रिगेड आफिस रवाना किया एवं श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि व श्री प्रवीण कुमार कानि को मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी फायर ब्रिगेड कार्यालय से बिना ईशारा किये वापस आया जिससे डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया और बताया कि श्री दीपक कुमार बाबु कमरे पर नही है, जिस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री दीपक कुमार के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री दीपक कुमार ने बताया कि मै नगर पालिका में आ गया हुआ हॅू। आरोपी श्री दीपक कुमार ने परिवादी को कहा कि आप वही बस स्टेण्ड पर रुको मै वही आ रहा हू। जिस पर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपूर्द किया तथा बस स्टेण्ड पर छोड़ कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के वही आस पास परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 09.40 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास परिवादी के मिस कॉल का तय ईशारा प्राप्त होने पर हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो को हमारा लेकर परिवादी के पास पहुंचा जहा परिवादी के पास एक व्यक्ति खड़ा मिला। परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री दीपक बाबू जी है जिन्होने मेरे से अभी-अभी अपने बाए हाथ से 10,000 रुपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रख लिए है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत करा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम दीपक टेलर पुत्र श्री गजराज सिंह टेलर, जाति दर्जी, उम्र 32 वर्ष, निवासी बुद्धपुरा

मौहल्ला, बकानी, पुलिस थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल शहर स्तरीय तकनिकी विशेषज्ञ (सी.एल.टी.सी.) नगर पालिका सूरजगढ जिला झुंझुनूं मैसर्स याशी कन्सलटेंट सर्विसेज प्रा.लि. जयपुर के मार्फत होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री दीपक टेलर को परिवादी से 10,000 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर, श्री दीपक टेलर ने घबराते हुये बताया कि मैने श्री कैलाश जी से रुपये नही लिये है इन्होने मुझे ऐसे ही दे दिये। पास ही खडे परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा ने आरोपी श्री दीपक टेलर की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री दीपक जी झुठ बोल रहे है, मैने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत आवेदन किया था जिस पर मेरे 2.50 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे। मुझे एक लाख रुपये का भुगतान हो चुका है तथा शेष एक लाख पचास हजार रुपये के भुगतान की एवज में श्री दीपक कुमार ने मेरे से दिनांक 06.10.2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुये एक लाख रुपये की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा शेष भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में बाद में बताने के लिए कहा था जिन्होने आज मेरे से 10,000 रुपये रिश्वत राशि अपने बाये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बाई जेब में रखी है। इस पर आरोपी से पुनः पूछा तो उसने बताया कि मैने कैलाश जी की प्रधानमंत्री आवास योजना की फाईल पर जे.ई.एन व ए.ई.एन. से हस्ताक्षर करवाने की एवज में उनके लिए लिये है जिस पर आरोपी श्री दीपक टेलर से पूछा तो जे.ई.एन. का नाम श्री सुभम सैनी बताया। आरोपी श्री दीपक टेलर के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री सुभम सैनी जे.ई.एन. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो आरोपी ने जे.ई.एन. को कहा कि जे.ई.एन. साहब कहा हो जिस पर जे.ई.एन. ने बताया कि मै मिटिंग में हूँ तब आरोपी ने कहा की आपके साईन करवाने है, कब तक आओगे जिस पर जे.ई.एन. ने कहा कि मै 12-01 बजे तक आ जाउंगा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री दीपक टेलर को जे.ई.एन. से फोन पर पैसे से संबंधित वार्ता नही करने के बारे में पूछा तो आरोपी ने कहा कि मैने श्री कैलाश जी से मेरे लिए ही रुपये लिये है। जिस पर आरोपी श्री दीपक टेलर का दाहिना हाथ श्री राकेश कुमार कानि से तथा बाया हाथ श्री प्रवीण कुमार कानि से कलाईयो के उपर से पकड़वाकर अग्रीम कार्यवाही हेतु गाडी में बिठाकर नगर पालिका सूरजगढ के लिए रवाना हो नगर पालिका पहुंच अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री दीपक टेलर के दाहिने हाथ की अंगुलियो को तैयार रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमेला हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने मटमैला होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क आर-1 व आर-2 अंकित किया गया। बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुंलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर शिल्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री दीपक टेलर को परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो श्री दीपक टेलर ने बताया कि मैने श्री कैलाश जी से 10,000 रुपये लिये वो मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब मे रखे है। आरोपी श्री दीपक टेलर को परिवादी से लिये 10,000 रुपये पेश करने की कहने पर उसने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब से 10,000 रुपये निकालकर पेश किये जिसे गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह को दिलवाये गये तथा दोनो गवाहान को आरोपी द्वारा अपनी पहनी हुई पेंट से निकालकर पेश किये गये नोटो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने आरोपी के पास मिले नोटो का हुबहु मिलान होना बताया। बरामद रिश्वती राशि 10,000 रुपये गवाह श्री मुपेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। बरामद नोटो का विवरण निम्न प्रकार है:- 1.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0SN 060769 2.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2SM 303675 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3NK 110668 4.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8WV 549981 5.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2EM 107551 6.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3ND 153003 7.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5HD 099251 8.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2ET 252080 9.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3CS 650049 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6NW 944619 11.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0CB 606068 12.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3AP 202907 13.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2TF 458089 14.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5VL 946110 15.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6NA 203404 16.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5NH 781914 17.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7EF 397975 18.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1HQ 615479 19.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8HM 779139 20.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6HF 113230। बरामदशुदा उपरोक्त 10,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर बरामद रिश्वती राशि को सील्ड मोहर किये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री दीपक टेलर को दुसरी पेंट उपलब्ध करवा पहनी हुई पेंट बरंग नीला जींस को ससम्मान उतरवाई गई। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम

कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री दीपक टेलर की पेंट की सामने की बाई जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर पेंट की जेब के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। जींस पेंट बरंग नीला को सुखाकर पेंट की बाई जेब पर संबधितो के हस्ताक्षर करवा पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रख शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित किया गया। मन् उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुभम सैनी जे.ई.एन. उपस्थित आया जिसने बताया कि हमारी वी.सी. चल रही थी, श्री दीपक टेलर सी.एल.टी.सी. प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य देखते है। मेरे द्वारा लाभार्थी कैलाश चन्द शर्मा की पत्रावली में कोई निरीक्षण कार्य नही किया है तथा ना ही मैने कभी लाभार्थी के मकान का भौतिक सत्यापन किया है। उक्त योजना के लिए कम्पनी के माध्यम से नियुक्ति किये हुये है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य देखते है तथा इन्ही के द्वारा समस्त कार्य किये जाते है। आज दिनांक तक श्री कैलाश चन्द शर्मा को उक्त योजना में कितने रुपये का भुगतान हुआ है उसकी मुझे जानकारी नही है। कार्यालय में से आरोपी श्री दीपक के बताये अनुसार परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा की प्रधानमंत्री आवासीय योजना की आवेदन पत्रावली लाकर पेश की तथा आरोपी की नियुक्ति संबंधी रिकार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय परियोजना निदेशक (आवासन) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचन निगम लिमिटेड (रुडसिको) जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में सीएलटीसी मैसर्स याशी कन्सलटेंट सर्विसेज प्रा0लि0 जपयुर के द्वारा नगर पालिका सूरजगढ में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यो के लिए श्री दीपक टेलर सी.एल.टी.सी. को रुडसिको के पत्रांक 4357 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा नियुक्त किया था। श्री दीपक टेलर ने नगर पालिका सूरजगढ में दिनांक 27.11.2024 को उपस्थिति देने पर नगर पालिका सूरजगढ के पत्रांक 2639 दिनांक 28.11.2024 द्वारा श्री दीपक टेलर को कार्य ग्रहण करवाया गया। श्री दीपक टेलर को वेतन का भुगतान परियोजना निदेशक (आवासन) रुडसिको जयपुर द्वारा किया जाता है। श्री कैलाश चन्द शर्मा निवासी नायको को मौहल्ला, वार्ड नम्बर 02, सूरजगढ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में दिनांक 19.06.2025 को आन लाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन से संबंधित दस्तावेजात की पत्रावली नगर पालिका में जमा करवाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समस्त कार्य जैसे निर्मित मकान का निरीक्षण, जियो टेगिंग, भुगतान संबंधित कार्य श्री दीपक टेलर द्वारा किये जाते है। श्री सुभम सैनी जे.ई.एन. ने आरोपी श्री दीपक टेलर के नियुक्ति संबंधित आदेश पेज संख्या 01 से 04 तक व परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा की प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन संबंधि दस्तावेज पेज संख्या 01 से 15 तक की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी। ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क सी अंकित किया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री दीपक टेलर पुत्र श्री गजराज सिंह, जाति दर्जी, उम्र 32 वर्ष, निवासी बुद्वपुरा मौहल्ला बकानी, पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड, हाल शहरी स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (कम्पनी के मार्फत), नगर पालिका, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं को जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया। परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा व आरोपी श्री दीपक टेलर, शहरी स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ से वक्त रिश्वत लेनदेन रूबरू हुई वार्ता एवं आरोपी श्री दीपक टेलर के मोबाईल से श्री सुभम सैनी जे.ई.एन. के मोबाईल पर हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है का वार्ता रुपान्तरण लेपटोप की सहायता से त्रिलोक सिंह हैड कानि. 155 द्वारा तैयार की गयी। रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाली गयी। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड कर मार्क डी अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सीव्ड कर मार्क डी-1 अंकित किया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 3 को श्री कुमार सानु कानि. 138 से नष्ट कराई गयी।ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दीपक टेलर पुत्र श्री गजराज सिंह, जाति दर्जी, उम्र 32 वर्ष, निवासी बुद्वपुरा मौहल्ला बकानी, पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड, हाल शहरी स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (कम्पनी के मार्फत), नगर पालिका, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.50 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे जिसमें से परिवादी को एक लाख रुपये का भुगतान हो चुका है तथा शेष एक लाख पचास हजार रुपये के भुगतान की एवज में आरोपी श्री दीपक टेलर 40,000 रुपये रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.10.2025 को आरोपी श्री दीपक टेलर ने परिवादी से उक्त योजना में

स्वीकृत हुये एक लाख रुपये की एवज में 10,000 रुपये स्वयं व जे.ई.एन. के नाम से रिश्वत की मांग की तथा शेष भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में बाद में बताने की कहना एवं रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 09.10.2025 को दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री दीपक टेलर, शहर स्तरीय तकनिकी विशेषज्ञ, द्वारा परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि 10,000 रुपये बरामद की गई, जिसका उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक टेलर पुत्र श्री गजराज सिंह, जाति दर्जी, उम्र 32 वर्ष, निवासी बुद्वपुरा मौहल्ला बकानी, पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड, हाल शहरी स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (कम्पनी के मार्फत), नगर पालिका, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 377 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1507-10 दिनांक 10-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुंझुनूं। 2-याशी कन्सलटेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड जयपुर(मेल आईडी rudsico.housing@rajasthan.gov.in)। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]0/2025 1[illegible]2

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

**Name(नाम):** Pushpendra Singh Rathore
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1993 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)